



2026:AHC:65726

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 12508 वर्ष 2026

अमन @ मोहम्मद अमन आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पीयूष कुमार पाठक, प्रतीक कुमार पाठक

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 80

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. विपक्षी पक्ष संख्या-2 की ओर से श्री अभिनव सिंह द्वारा आज दायर वकालतनामा को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता, सूचनाकर्ता-प्रतिपक्षी संख्या-2 की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता और राज्य प्रतिपक्षियों की ओर से पेश होने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. धारा 69, 351(3) बी.एन.एस., थाना-चांदपुर, जिला बिजनौर और आरोप पत्र संख्या-243 वर्ष 2024 दिनांक 6.8.2024 के साथ-साथ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-1, बिजनौर के समक्ष लंबित दिनांक 5.10.2024 के संज्ञान/समन आदेश दिनांक 5.10.2024 के तहत सत्र परीक्षण संख्या-1616 वर्ष 2025 (राज्य बनाम अमन) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत आवेदन दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक और पीड़ित/प्रथम सूचनाकर्ता ने समझौता किया है और पक्षों के बीच दिनांक 2.1.2026 को एक समझौता विलेख निष्पादित किया गया था, जिसे प्रस्तुत आवेदन के साथ अनुलग्नक-7 के रूप में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संलग्न किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि समझौता विलेख को संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 6.2.2026 के आदेश के अनुसरण में सत्यापित किया गया है, जो इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या-1915 वर्ष 2026 (अमन @ मो. अमन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित आदेश के अनुसरण में किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समझौता पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता जाता है कि अन्यथा भी, प्रस्तुत आवेदक के खिलाफ अपराध नहीं बनता है क्योंकि सहमति से संबंध बलात्कार के मामले में बदल दिया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में कहा कि उसने कई बार गर्भावस्था की कल्पना की, हालांकि, आवेदक की मदद से उसे समाप्त कर दिया गया। पीड़िता द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि शादी के झूठे वादे के कारण आवेदक और पीड़िता के बीच यौन संबंध स्थापित किए गए थे। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि **शंभू खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1032** में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मददेनजर, **प्रशांत बनाम दिल्ली राज्य (2025)5 एस.सी.सी. 764, रजनीश सिंह @ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2025) 4 एस.सी.सी. 197 और कुणाल कटिरजी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और 29.7.2025** को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सीआरआई) संख्या-7004 वर्ष 2025 में एक अन्य निर्णय दिया गया था, प्रस्तुत आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि केवल सहमति देने वाले जोड़े के बीच संबंध तोड़ने से आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती है। प्रारंभिक चरण में पक्षों के बीच सहमति से जो संबंध था, उसे आपराधिकता का रंग नहीं दिया जा सकता है जब उक्त संबंध वैवाहिक संबंध में फलीभूत नहीं होता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पक्षों के बीच समझौते में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, जिसे दिनांक 21.1.2026 के आदेश के अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया है, प्रस्तुत आवेदक के खिलाफ आपराधिक आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।



5. आगे यह तर्क दिया जाता है कि उक्त समझौते को ध्यान में रखते हुए, अवर न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को **बीएस जोशी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2003(4) एस.सी.सी. 675, और ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012 (10) एस.सी.सी. 303** मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के आलोक में रद्द कर दिया जाए।
6. अपने तर्क के समर्थन में आवेदकों के अधिवक्ता ने **नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एस.सी.सी. 466** में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है और **योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य (2014) 9 एस.सी.सी. 653** और **परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017) 9 एस.सी.सी. 641** में रिपोर्ट किया गया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदकों और विपक्षी पक्ष संख्या-2 ने समझौते के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझा लिया है और इस तरह प्रतिपक्षी संख्या-2 आवेदकों के खिलाफ उपरोक्त मामले को दबाना नहीं चाहता है। प्रतिपक्षी संख्या-2 आवेदकों के अभियोजन को वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते को देखते हुए, यदि अभियोजन पक्ष को आगे बढ़ने की **अनुमति** दी जाती है तो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
7. दूसरी ओर, राज्य के लिए प्रतिपक्षी संख्या-2 और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को उपरोक्त प्रस्तुतियों पर कोई आपत्ति नहीं है।
8. बी.एस. जोशी (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि पक्षों के बीच एक समझौते के तहत विवाद समाप्त हो गया है, तो धारा 320 भंद्बवि० के तहत निहित किसी भी बात के बावजूद, पक्षगण के बीच दर्ज किए गए समझौते को देखते हुए अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत धारा 498-ए भंद्बवि० आदि की कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस अदालत के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। ज्ञान सिंह (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर-61 में कहा है कि;

"अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए एक आपराधिक अदालत को दी गई शक्ति से अलग और अलग है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक प्रचुरता की है जिसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या प्राथमिकी को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती, आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद का निपटारा कर दिया हो। इस तरह के अपराध प्रकृति में निजी नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई भी समझौता या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध आदि; ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन भारी और मुख्य रूप से सिविल पक्ष वाले आपराधिक मामले रद्द करने के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग स्तर पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षगण ने अपने पूरे विवाद को हल कर लिया है। मामलों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण समझौते



और समझौता के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित होगा या न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना पीड़ित और गलत काम करने वाले के बीच समझौते और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना है या नहीं, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।

9. राम गोपाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 118 एसीसी 318

(आपराधिक अपील संख्या-1488 वर्ष 2012) में हाल ही में एक फैसले में, 29.9.2021 को निर्णय दिया गया, में किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि भले ही अपराध गैर-शमनीय हों, उच्च न्यायालय अपराधों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपराधों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और पीड़ित ने स्वेच्छा से आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सहमति दी है। ऐसा करते हुए, यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय निर्विवाद रूप से किसी व्यक्ति के शरीर से परे अपराधों के परिणामी प्रभावों का मूल्यांकन कर सकता है और उसके बाद एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुंडागर्दी, भले ही दंडित न हो, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन के उद्देश्य के साथ छेड़छाड़ या पंगु नहीं बनाता है। उक्त निर्णय के प्रस्तर-14 में, सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: -

"14. दूसरे शब्दों में, गंभीर या गंभीर अपराध या अपराध जो नैतिक अधमता से जुड़े हैं या समाज के सामाजिक और नैतिक ताने-बाने पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं या सार्वजनिक नीति से संबंधित मामलों को शामिल करते हैं, को केवल दो व्यक्तियों या समूहों के बीच नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि ऐसे अपराधों में बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करने की क्षमता होती है। रद्द



करने की प्रक्रिया के माध्यम से घृणित अपराधों को नष्ट करने से न केवल समुदाय को एक गलत संकेत मिलेगा, बल्कि बेईमान आदतन या पेशेवर अपराधियों को भी अनुचित लाभ मिल सकता है, जो दबाव, धमकियों, सामाजिक बहिष्कार, रिश्वत या अन्य संदिग्ध साधनों के माध्यम से 'समझौता' सुरक्षित कर सकते हैं। यह अच्छी तरह से कहा गया है कि "किसी भी दोषी व्यक्ति को भागने नहीं देना चाहिए, अगर इसे टाला जा सकता है।

10. सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (आपराधिक) संख्या-7212 वर्ष 2025 से उत्पन्न होने वाले एसएलपी (आपराधिक) संख्या-7212 वर्ष 2025 से उत्पन्न मधुकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के एक अन्य फैसले में एसएलपी (आपराधिक) संख्या-7495 वर्ष 2025 से उत्पन्न होने वाले मामले अपराध संख्या-302 वर्ष 2023 की कार्यवाही को रद्द कर दिया, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 324, 141, 147, 149, 452, 323, 504 और 506 के तहत और साथ ही पक्षों के बीच समझौते के आधार पर धारा 376, 354-ए, 354-डी, 509 और 506 भ०द०वि० के तहत केस अपराध संख्या-304 वर्ष 2023, दिनांक 21.11.2023 की कार्यवाही को रद्द कर दिया। उक्त निर्णय के प्रस्तर-6, 7 और 8 को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"6. शुरुआत में, हम मानते हैं कि भ०द०वि० की धारा 376 के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। आमतौर पर, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने से हतोत्साहित किया जाता है और इसे हल्के में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 द०प्र०स० के तहत न्यायालय की शक्ति एक कठोर सूत्र द्वारा विवश नहीं है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

7. प्रस्तुत मामले में, हम एक असामान्य स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां भ०द०वि० की धारा 376 सहित गंभीर आरोपों को लागू करने वाली प्राथमिकी प्रतिपक्षी द्वारा दर्ज की गई पहले की प्राथमिकी के तुरंत बाद दर्ज की गई थी। घटनाओं का यह क्रम आरोपों को एक निश्चित संदर्भ देता है और सुझाव देता है कि दूसरी प्राथमिकी एक प्रतिक्रियावादी कदम हो सकती है। इससे भी



महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से मामले को आगे न बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। उसने प्रस्तुत किया है कि वह अब शादीशुदा है, अपने निजी जीवन में बस गई है, और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उसकी शांति और स्थिरता ही भंग होगी। उसका रुख न तो अस्थायी है और न ही अस्पष्ट, उसने अभिलेखों पर एक हलफनामे सहित लगातार कहा है कि वह अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करती है और चाहती है कि मामला समाप्त हो जाए। पक्षगण ने भी अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और आपसी समझ पर पहुंच गए हैं। इन परिस्थितियों में, मुकदमे को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह केवल सभी संबंधितों, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के लिए संकट को लम्बा खींचेगा, और उत्पादक परिणाम की संभावना के बिना अदालतों पर बोझ डालेगा।

8. इसलिए, इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्ट रुख और निपटान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह केवल प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

11. मैंने अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों/आरोपों का अध्ययन किया है और मेरी राय है कि ये ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जो उन मामलों के अपवाद वर्ग में आते हैं जहां कार्यवाही को रद्द करने और अभियुक्त को बिना सजा दिए जाने की अनुमति देने से बड़े पैमाने पर समाज पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। चूंकि पक्षों ने पहले ही अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, इसलिए आवेदकों की दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में, आवेदकों के खिलाफ आरोप निहित रूप से वापस ले लिए गए हैं और छोड़ दिए गए हैं, इसलिए, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

12. अभिलेखों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि पक्षगण ने समझौता कर लिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने वास्तविक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा



लिया है, जिसे नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा भी सत्यापित किया गया है, जिसकी प्रति अभिलेखों पर है। इस प्रकार, यह आगे प्रतीत होता है कि प्रतिपक्षी संख्या-2, जो मुख्य अभियोजन पक्ष गवाह होगा, यदि मुकदमे को आगे बढ़ाना था, तो मुकदमे में मुकाबलों को मुकाबलों के अपने स्पष्ट इरादे की घोषणा की है। ऐसी परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि योग्यता और सच्चाई के अलावा, मुकदमे में कार्यवाही, यदि जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो अवर न्यायालय द्वारा काफी हद तक कीमती समय की बर्बादी हो सकती है।

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों के बीच किए गए समझौते के संबंध में पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए और इन सभी कारकों को संचयी रूप से ध्यान में रखते हुए, पक्षों के बीच समझौते को स्वीकार किया जाए और ज्ञान सिंह बनाम शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए। पंजाब राज्य, 2012 (10) एस.सी.सी. 303, नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपरोक्त), योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य (उपरोक्त) और परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (उपरोक्त), मधुकर (उपरोक्त) के मामले में उपरोक्त मामले की पूरी कार्यवाही रद्द की जाती है।

14. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, केस अपराध संख्या-371 वर्ष 2024 से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या-1616 वर्ष 2025 (राज्य बनाम अमन) की पूरी कार्यवाहीक धारा 69, 351(3) बी.एन.एस., थाना-चांदपुर, जिला बिजनौर और आरोप पत्र संख्या-243 वर्ष 2024 दिनांक 6.8.2024 के साथ-साथ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-1, बिजनौर के समक्ष लंबित 5.10.2024 के संज्ञान/समन आदेश को एतद्वारा रद्द/अपास्त किया जाता है।

15. तदनुसार, आवेदन की अनुमति है।

मार्च 30, 2026

ललित शुक्ला

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)